प्रकार
मुद्दा: बहस
पेश हो

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

13/7/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वकील वादी के पत्रावली पर बहस सुनी। निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया डिक्री पत्रक जारी हो। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 174/2016

वादी

1. दुर्गाराम पुत्र उकाराम
   जाति भील, निवासी नगर, तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सहायक प्रबन्धक, केर्यन इण्डिया प्रा.लि.
   रागेश्वरी गैस टर्मिनल (RGT) मालियों की ढाणी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. मुख्य सी.एस.आर. ऑफिस रागेश्वरी गैस टर्मिनल (RGT) मालियों की ढाणी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. प्रबन्धक, केर्यन इण्डिया प्रा. लि. मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल (MPT) नागाणा तहसील बाड़मेर
4. तहसीलदार, गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15/12/23

वादी द्वारा उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी दुर्गा व सह खातेदार हेमा, फौजा वगैरा का सह खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 688/859 रकबा 6–15 बीघा का ग्राम नगर पटवार क्षेत्र नगर तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ था। इस खेत में से प्रतिवादी ओ.एन.जी.सी. के नाम भूमि अवाप्त हाने से अवाप्ति नामान्तरकरण संख्या 1462 दिनांक 25.02.2012 से खेत खसरा नम्बर 688/859 में से नये खसरा नम्बर 688/25 रकबा 1–17 बीघा, खसरा नम्बर 688/26 रकबा 0–07 बीघा ओ.एन.जी.सी. के नाम दर्ज हो गया तथा खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 बीघा वादी दुर्गा व सहखातेदारान के नाम नाम रहा। खसरा नम्बर 668/859 रकबा 4–11 बीघा के संयुक्त खातेदारान हेमा, फोजा सुजा व मोहन वगैरा द्वारा जरिये दानपत्र नामान्तरण संख्या 1584 द्वारा सम्पूर्ण भूमि वादी दुर्गा के नाम दर्ज करवादी गई। जिससे खसरा नम्बर 668/859 रकबा 4–11 बीघा का वादी एक मात्र खातेदार रहा। वादी की खसरा नम्बर 668/859 रकबा 4–11 बीघा की भूमि के रकबा 1–09 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 कम्पनी ओ.एन.जी.सी. को वादी ने मना किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 एवं अधीनस्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी की रकबा 1–09 बीघा भूमि पर जबरन पक्का निर्माण करने पर आमादा हो गये जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की रकबा 1–09 बीघा पर किये जबरन कब्जा को

सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का वाद न्यायालय में लाना आवश्यक होने से यह वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता द्वारा वादी के वाद पत्र का जबाव मय विशेष आपत्ति पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम नगर स्थित खसरा नम्बर 859/882, 688/25 व 688/26 की भूमि को अंतिम समझौता एवार्ड से अवाप्त किया जाकर इस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा सम्पूर्ण वेलपेड का निर्माण कर दिया गया था, उक्त वेलपेड पर नियमित रूप से हाईडोकार्बन इत्यादि गैसों का उत्पादन हो रहा है, अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राजस्व न्यायालयों को सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है, इसलिये यह प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से निरस्त किया जावे।

न्यायालय में वादपत्र, जबाबदावा, दस्तावेजात प्रस्तुत होने पर निम्न विवाद्यक बिन्दू कायम किये गये :–

1. आया वादी मौजा नगर के खेत खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 बीघा में से 1–09 बीघा पर माफिक नजरी नक्शा बरंग हरा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा करवाये जा रहे कम्पनी प्लान्ट निर्माण को ध्वस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

(जिम्मे वादी)

2. आया वादी कब्जा प्राप्ति तक अतिचारी कृषि भूमि का औसत पैदावार का मूल्यांकन कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 से क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है?

(जिम्मे वादी)

3. आया वादीगण, बाद कब्जा प्राप्ति उपरोक्त खसरान की भूमि में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी हैं?

(जिम्मे वादी)

4. आया प्रतिवादीगण मौजा नगर के खसरा नम्बर 859/882, 688/25 व 688/26 की भूमि को अंतिम समझौता एवार्ड से अवाप्त की जाकर सम्पूर्ण वेलपेड का निर्माण कर दिया गया था। उक्त वेलपेड पर नियमित रूप से हाईडोकार्बन इत्यादि गैसों का उत्पादन हो रहा है। अवाप्त की गई भूमि के

सहायक ... गुड़ामालानी

सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का राजस्व न्यायालयों को सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता नहीं होने से वाद वादी निरस्त करवाने के अधिकारी हैं?

(जिम्मे प्रतिवादी सं. 1 से 3)

5. अन्य सहायता...

वकील वादी द्वारा वादी के वाद पत्र को सावित करने के लिये वादी की मौखिक साक्ष्य में गवाह PW-1 दुर्गाराम, PW-2 सुजाराम को न्यायालय में उपस्थित कर मय साक्षी शपथ–पत्र बयान कलमबद्ध करवाए गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत् 2068–2071, प्रदर्श–2 नक्शा, प्रदर्श–3 परिशिष्ठ–अ' की छायाप्रति, प्रदर्श–4 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 31.05.2017 की प्रति, प्रदर्श–5 तहसीलदार गुडामालानी की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2018 की प्रति, प्रदर्श–6 मौका रिपोर्ट का मौका नक्शा, प्रदर्श–7 से 9 तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक 207 दिनांक 31.01.2017 की प्रति प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

तनकीयात के सम्बन्ध में साक्ष्य मौखिक एवं दस्तावेजी आने के बाद वकील वादी की बहस सुनी, पत्रावली, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, साक्ष्य पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

<u>**तनकी संख्या 01...**</u> आया वादी मौजा नगर के खेत खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 बीघा में से 1–09 बीघा पर माफिक नजरी नक्शा बरंग हरा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा करवाये जा रहे कम्पनी प्लान्ट निर्माण को ध्वस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से उक्त तनकी को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में PW-1 दुर्गाराम, PW-2 सुजाराम को न्यायालय में उपस्थित कर मय साक्षी शपथ–पत्र बयान कलमबद्ध करवाए गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 विवादित आराजी की जमाबन्दी संवत् 2068–2071, प्रदर्श–2 नक्शा, प्रदर्श–3 परिशिष्ठ–अ' की छायाप्रति, प्रदर्श–4 राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 31.05.2017 की प्रति, प्रदर्श–5 तहसीलदार गुडामालानी की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2018 की प्रति, प्रदर्श–6 मौका रिपोर्ट का मौका

नायब ... गुड़ामालानी

नक्शा, प्रदर्श–7 से 9 तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक 207 दिनांक 31.01.2017 की प्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

PW-1 वादी दुर्गाराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 बीघा बांके नगर तहसील गुड़ामालानी का मैं रेकर्डेड खातेदार हूँ, मेरी उक्त खातेदारी भूमि के पास ही आरजीटी का वेलपैड नम्बर 5 बना हुआ है, प्रतिवागण द्वारा मुझ वादी की उक्त खातेदारी भूमि के पूर्वी भाग की 1–09 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जाकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, श्रीमान के द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी से मंगाई रिपोर्ट दिनांक 31.01.2017 में भी केयर्न इण्डिया कम्पनी का 1–00 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण बताया गया है। माननीय आरएए बाड़मेर द्वारा मेरी अपील स्वीकार कर अपील के निर्णय दिनांक 31.05.2017 में यह उल्लेखित किया है कि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिर्पोट अनुसार कम्पनी का अवाप्त भूमि के अतिरिक्त 1–00 बीघा भूमि पर कब्जा होना प्रकट होता है, यदि उक्त अतिरिक्त भूमि की कम्पनी को आवश्यकता है तो वे उसके सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए भूमि अवाप्त करनी चाहिये, मुझ प्रार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया कि एक माह में पुनः नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम का गठन कर विवादित भूमि का पुनः मौका पैमाईस कराई जावे, कम्पनी को आदेशित किया कि पुनः परीक्षण में भूमि अधिक पाई जाने की स्थिति में अवाप्त भूमि से अधिक अतिरिक्त भूमि पर मूल अवाप्त भूमि के कब्जा प्राप्ति दिनांक से उपक्रम के प्रचलित नियमों में जो भी किराया हो मुझ प्रार्थी को दिया जावे। माननीय आरएए के उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार स्वयं के निर्देशन में राजस्व टीम का गठन कर कम्पनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनः परीक्षण करवाया गया जिसमें कम्पनी का 1–00 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया गया, जिस पर तहसीलदार गुडामालानी ने कम्पनी को नोटिस देकर मुझ प्रार्थी की भूमि का कब्जा छोडने तथा उपयोग में लिये गये समय का किराया देने हेतु आदेशित भी किया गया। मेरा वाद पत्र सत्य व ही है, प्रतिवादी कम्पनी का मेरी उक्त विवादित भूमि की 1–00 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा पुष्ट हो चुका है, अतः मुझ वादी का उक्त वाद पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से तत्काल बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें। इसी प्रकार गवाह PW-2 सुजाराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि मैं वादी का सेढा पाडौसी हूँ, उक्त वादग्रस्त आराजी का मुझे लम्बे समय से ज्ञान है।

वादी उक्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है, जिसमें वादी की आवासीय ढाणी, पशुवाडा, चारवाडा पानी का टांका आदि बने हुए हैं, वादी की उक्त आराजी के पास ही आरजीटी का वेलपैड नम्बर 5 बना हुआ है, प्रतिवादी कम्पनी द्वारा वादी की उक्त खातेदारी भूमि के पूर्वी भाग की 1–09 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जाकर पक्का निर्माण किया जा रहा है, वादी की उक्त भूमि का तहसीलदार, आरआई, पटवारी ने कई बार मेरे सामने नाप आदि किया है जिसमें हर बार वादी की भूमि पर कम्पनी का 1–00 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है, वादी की भूमि पर प्रतिवादी कम्पनी ने अवैध रूप से जबरन कब्जा किया है जो हटाया जाकर वादी को न्याय दिलाया जावे।

उक्त तनकी का निर्णय :–

उक्त तनकी में वादी को ये सावित करना था कि ग्राम नगर के खेत खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 बीघा में से 1–09 बीघा पर माफिक नजरी नक्शा बरंग हरा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा करवाये जा रहे कम्पनी प्लान्ट निर्माण को ध्वस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? वादी द्वारा उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से यह साबित है कि वादी उक्त विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रदर्श–6 से 7 तहसीलदार गुड़ामालानी की मौका रिपोर्ट द्वारा भी वादी के वाद पत्र की पुष्टि होती है तथा वादी की उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का रकबा 1–00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होना पुष्ट होता है। प्रदर्श–4 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 31.05.2017 में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–"मौका रिपोर्ट दिनांक 19.01.2017 के अनुसार प्रतिवादीगण का अवाप्त भूमि के अतिरिक्त 1–00 बीघा भूमि पर कब्जा होना प्रकट होता है, यदि प्रतिवादीगण को उक्त अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है तो वे उसके सम्बन्ध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए भूमि को अवाप्त करना चाहिये थो, चूंकि मौका रिपोर्ट के अनुसार 1–00 बीघा पर कम्पनी का कब्जा प्रकट है, अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया कि एक माह में पुनः नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम का गठन किया जाकर विवादित भूमि का पुनः मौका पैमाईश कराई जावे, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को आदेशित किया गया कि पुनः परीक्षण में भूमि अधिक पाई जाने की स्थिति में अवाप्त भूमि से अधिक अतिरिक्त भूमि पर मूल अवाप्त भूमि के कब्जा प्राप्ति दिनांक से उपक्रम के प्रचलित नियमों में जो भी किराया देय हो वादी को भुगतान

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

किया जावे।" प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी के सम्बन्ध में जवाव दावा के अतिरिक्त कोई मौखित व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, परन्तु दिनांक 10.01.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर वादी व प्रतिवादीगण की ओर से एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वादी की 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवाप्ति दिनांक से स्वीकार किया है। अतः वादी ने अपने जिम्मे की उक्त तनकी को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सावित किया है। इसलिये वादी ग्राम नगर के खेत खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 बीघा में से 1–09 बीघा पर माफिक नजरी नक्शा बरंग हरा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा करवाये जा रहे कम्पनी का कब्जा हटवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 से कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी को वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

<u>तनकी संख्या 02...</u> आया वादी कब्जा प्राप्ति तक अतिचारी कृषि भूमि का औसत पैदावार का मूल्यांकन कर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 से क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से उक्त तनकी को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श–4 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 31.05.2017 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के उक्त निर्णय द्वारा पुनः परीक्षण में भूमि अधिक पाई जाने की स्थिति में अवाप्त भूमि से अधिक अतिरिक्त भूमि पर मूल अवाप्त भूमि के कब्जा प्राप्ति दिनांक से उपक्रम के प्रचलित नियमों में जो भी किराया देय हो वादी को भुगतान किये जाने के आदेश दिये हैं। प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा लिखित राजीनामा दिनांक 10.01.2023 में उक्त तथ्यों को स्वीकार कर किराया दिये जाने की सहमति दी है। अतः वादी प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03...</u> आया वादीगण, बाद कब्जा प्राप्ति उपरोक्त खसरान की भूमि में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है?
उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 को वादी ने सावित किया है इसलिये उक्त तनकी अनुशांगिक तनकी है। वादी उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थाई

सहायक कलेक्टर गडरारोड

निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04...</u> आया प्रतिवादीगण मौजा नगर के खसरा नम्बर 859/882, 688/25 व 688/26 की भूमि को अंतिम समझौता एवार्ड से अवाप्त की जाकर सम्पूर्ण वेलपेड का निर्माण कर दिया गया था। उक्त वेलपेड पर नियमित रूप से हाईडोकार्बन इत्यादि गैसों का उत्पादन हो रहा है। अवाप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का राजस्व न्यायालयों को सुनवाई करने की क्षेत्राधिकारिता नहीं होने से वाद वादी निरस्त करवाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 1 से 3 पर था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करने हेतु वादी के वाद पत्र के लिखित जबावदावा मय विशेष आपत्ति में उक्त कथनों को अंकित किया है परन्तु उक्त कथनों को साबित करने के लिये किसी प्रकार की मौखित व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अलावा इसके वादी व प्रतिवादीगण के मध्य एक लिखित राजीनामा दिनांक 10.01.2023 न्यायालय में प्रस्तुत कर वादी के वाद पत्र के कथनों को स्वीकार कर वादी की 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना व किरायानामा पंजीयन कराकर किराया दिलाने का कथन किया है। अतः प्रतिवादीगण के जिम्मे उक्त तनकी को प्रतिवादीगण सावित करने में विफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 05...</u> अन्य सहायता

चूंकि जो तनकीयात वादी के जिम्मे थी को वादी ने वखूबी साबित किया इसलिये वादी डिगरी पाने का अधिकारी हैं। और जो तनकीयात प्रतिवादीगण के जिम्मे थी उन्हें प्रतिवादीगण साबित करने में विफल रहे है। इसलिये वादी का वाद स्वीकार कर डिकरी किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र नगर के राजस्व ग्राम नगर के खेत खसरा नम्बर 688/859 रकबा 4–11 भूमि में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट कमांक भू.अ./2020/2033 दिनांक 26.08.2020 द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2020 एवं संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग 'नीला' रकबा 1–00 बीघा भूमि पर पाया गया प्रतिवागण ओ.एन.जी.सी.एल कम्पनी द्वारा किये गये अनाधिकृत

सहायक कलेक्टर गुडामालानी

कब्जो को नियमानुसार हटबाकर भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि उक्त भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं, उनके प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करें। इसी प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15/12/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर, (S.D.O) गुडामालानी